



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 19.08.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ ऑपरेशन कन्विकशन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप 05 अलग-अलग मामलों में 05 अभियुक्तों को 9500/ रुपये के जुर्माने से कराया गया दण्डित ।

विवरण– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विकशन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप 05 अलग-अलग मामलों में कुल 05 अभियुक्तों को 9500/ रुपये के से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्नवत् है-

अभियोग-

1. थाना अतर्रा में पंजीकृत अभियोग 210/22 धारा 60 आबकारी अधिनियम के अभियुक्त नत्थू वर्मा पुत्र भऊआ निवासी तिन्दुही थाना गिरवां जनपद बांदा को 2000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
2. थाना फतेहगंज में पंजीकृत अभियोग 55/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम के अभियुक्त किशोरी लाल पुत्र ददुआ आरख निवासी ग्राम बीरमपुर थाना फतेहगंज जनपद बांदा को 1500/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
3. थाना बदौसा में पंजीकृत अभियोग 64/99 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम के अभियुक्त कुल्ली पुत्र चुनकावन निवासी ग्राम दुवरिया थाना बदौसा जनपद बांदा को 2000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
4. थाना बदौसा में पंजीकृत अभियोग 150/10 धारा 379/337/338 भादवि के अभियुक्त मुन्सी सिंह पुत्र राम सेवक निवासी नरौली थाना पैलानी जनपद बांदा को 2000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
5. थाना अतर्रा में पंजीकृत अभियोग 255/08 धारा 287/338 भादवि के अभियुक्तगण 1. एस.के.श्रीवास्तव पुत्र आर.पी.श्रीवास्तव निवासी मधु डिस्प्ले कम्पनी शाहगंज इलाहाबाद को कुल 2000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।